दिनांक 20.11.2019 को प्रातः 11:45 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा०प्र०से०, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु/जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की दसवीं बैठक की कार्रवाई रिपींट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- श्री प्रदीप गोदारा, भा०प्र०से०, आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
- श्री महेश कुमार, नगराधीश, रोहतक।
- श्री विशाल बंसल, अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
- श्री बी.एस. नारा, अधीक्षक अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
- श्री मंजीत दहिया, कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), नगर निगम, रोहतक।
- श्री रणजीत मलिक, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
- श्री भानू प्रकाश, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
- डा० सत्यवान, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
- श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, इंडस्ट्रीज, रोहतक।
- 10. श्री आशीष कुमार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।
- 11. श्री रणबीर शर्मा, Dy. Registrar (Admin), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
- 12. श्री परमिन्द्र वर्मा, DMS, PGIMS, रोहतक।
- 13. श्रीमति गीता दलाल, प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग, रोहतक।
- 14. श्री अरूण नांदल, सचिव, नगर पालिका सांपला।
- 15. श्री आशिष कुमार, सचिव, नगर पालिका, महम।
- 16. श्रीमती सुमन लता, कुमार, सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
- 17. श्री रवीन्द्र यादव, AEE, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
- 18. श्री विजेन्द्र सिंह, उपमण्डल अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
- 19. श्री संजीव दहिया, उपमण्डल अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
- 20. श्री सुमित मलिक, सहायक नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
- 21. श्री अजय गोदारा, PGIMS, रोहतक।
- 22. श्री महाबीर सिंह, मुख्य सुफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए दिनांक 21.08.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की प्रगति की समीक्षा की गई:--

- बैठक में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि माननीय NGT व Waste Management Rules की पालना के लिए पहले निम्नलिखित नौ बैठक आयोजित की जा चुकी है:-
  - 1. दिनांक 12.04.2019
  - 2. दिनांक 29.04.2019
  - 3. दिनांक 09.05.2019
  - 4. दिनांक 28.05.2019
  - 5. दिनांक 18.06.2019
  - 6. दिनांक 08.07.2019
  - 7. दिनांक 26.07.2019
  - 8. दिनांक 05.08.2019
  - 9. दिनांक 21.08.2019

## 2. दिनांक 21.08.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में नगर निगम रोहतक द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:—

Sr. No.		Indicators for physical evaluation		Actual Achievement
1	Door to Door collection	Door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other	May-2019	1.100% door to door collection already achieved in 2017. 2. 100% compartmentalized of all vehicles (42 Garbage Tipper. 3. Estimated waste generated per day –155 MT 4.Collected waste per day-
2	Source Segregation	Segregation of waste by households into Biodegradable, non-biodegradable, domestic hazardous.	Aug-2019	80-85% achieved upto 19.11.2019 in all 22 wards.     40000 dustbins distributed under CSR.     Certificates from the Govt. Officer/Official obtained and Twenty two teams for inspection constituted.     22 team constituted to
3	Litter Bins & Waste Storage Bins	<ul> <li>Installation of Twin/bin/ segregated litter bins in commercial &amp; public areas at every 50-100 meters.</li> <li>Installation of Waste storage bins in strategic locations across the city, as per requirement (Unless Binless)</li> <li>Elimination of Garbage Vulnerable Points.</li> </ul>		awareness the public.  1. Twin/bin/ segregated litter bins in commercial & public areas at every 50-100 meters already installed.  2. Installation of Waste storage bins in strategic locations across the city, as per requirement installed (only in commercial areas)+ Residential areas already declared dustbin free.  All Garbage collection centers in residential

			4	areas already removed. 6 garbage vulnerable points removed and Parks and toilets developed at these places:- (i) Rainakpura (ii) Tejcolony (iii) Palika colony (iv) Circuit House road Jhajjar Road (v) Kheri Sadh.
4	Transfer Stations	Installation of Transfer Stations instead of secondary storage bins in cities with population above 5 Lakhs.		(vi) Opp. CIA Staff.  100% door to Door collection and all garbage transferred directly to the Solid waste Plant Sunaria.
6	Separate Transportation	<ul> <li>Compartmentalization of vehicles for the collection of different fractions of waste.</li> <li>Use of GPS in collection and transportation vehicles to be made mandatory at least in cities with population above 5 lakh along with the publication of route map.</li> </ul>	Aug-2019	Already 100% compartmentalized of all 42 Garbage Tipper/vehicles and all vehicles are monitored through GPS based monitoring system.
7	Public Sweeping	<ul> <li>All public and commercial areas to have twice daily sweeping, including night sweeping and residential areas to have daily sweeping.</li> </ul>	Aug-2019	100% compliance already made including night sweeping in all commercial and public areas.
	Waste  ■ MRF Facility	<ul> <li>Separate space for segregation, storage, decentralized processing of solid waste to be demarcated</li> <li>Establishing systems for home / decentralized and centralized composting</li> <li>Setting up of MRF Facilities.</li> </ul>	Aug-2019	1. Separate space for segregation, storage, centralized processing of solid waste has already been demarcated at Sunaria 33.89 acre.  2. Centralized composting has already been started at Sunaria  3. MRF Facilities has already been in existence at Sunaria.
8	Landfill	Setting up common or regional sanitary landfills by all local bodies for the disposal of permitted waste under the rules.  Systems for the treatment of legacy waste to be established.	Aug-2019	at Sunaria.  1. Landfill site already exist at sunaria 10 acre.  2. Treatment of Legacy waste has been started in April 2019 and after treatment the material has been used in strengthening of Berms of Road plantation etc. (At present Kheri sadh road jhajjar Road and Pehrawer road developed)

9	C & D Waste	T. T		
1		Ensure separate storage collection and transportation or construction and demolition wastes.	f	Site at village Sunaria notified, published in news paper and Board installed at many places.
11	Plastic Waste  Identification o	Implementation of ban on plastic below <50 microns thickness and single use plastics.	Aug-2019	Notification issued 210 challans issued Rs. 1,58,100 fine collected uptill now. Authorized recycler (Green Planet Waste Management Pvt. Ltd.) registered by MC Rohtak.
	BWGs		Apr-2019	37 Bulk Waste generators identified which are generated more than 100 kg per day.
12	Bulk Waste Generators (BWGs)	decentralized	Aug-2019	Instructions issued. MDU, PGIMS installed wet waste processing plant. Installation of wet waste treatment Grain Market is under process. 34 BWG deposited charges in MCR for processing the waste.
14	Preventing solid waste from entering into water bodies  User Fees	mechanisms such as screen mesh, grill, nets, etc, to arrest solid waste from entering into water bodies.	Aug-2019	Water bodies of Mata Darwaja and Gaukaran renovated Precast covers have been placed at nalas to arrest solid waste from entering into nalas.
		Waste Generations paying user fee for solid waste management, as specified in the bye-laws of the local bodies.	Apr-2019	User fees already notified and Rs. 4.5 cr collected in 2018-19 & Rs. 2.98 cr collected in 2019-20. The bill of user fees issued alongwith the Property tax
15	Penalty Provision	spot fine for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per the bye-laws framed.	Apr-2019	Levying of fines and amount has been displayed at public places. Challan book printed and 385 challans issued Rs. 1,13,200 fine collected uptill now.
16	Notification of Bye Laws	the provisions of MSW Rules, 2016 and ensuring timely implementation.	Apr-2019	State Govt. has already framed Bye laws and notified by Municipal Corporation, Rohtak Solid Waste Management Bye Laws published on 07.08.2019.
		Resolution of complaints on Swachhata App within SLA.		Residents are motivating to download the Swachhta App and Resolution of Complaints system has already been developed.

18	Monitoring Mechanism	States/ULBs to update month wise targets/action plans on the online MIS.		Updated and reports regarding sent to the
19	Detail of Legacy Waste sites		Aug-2019	At village sunaria and treatment has been started.  Near about 2.5 Lacs
20	Separate Site for Storage of Bio- medical Waste	3	Aug-2019	Bio-Medical Waste collected by the
21	Ensure separate collection of E-Waste		Aug-2019	Authorized Collector.  Recycler has already Registered (M/s Deshwal Waste Management Pvt. Ltd.) doing his work properly.

उपरोक्त मदो पर चर्चा करने के पश्चात उपायुक्त महोदय द्वारा सचिव, नगर पालिका महम, सांपला व कलानौर को आदेश दिये गये कि वे सभी भी अपनी रिर्पोट इसी प्रपत्र में उपलब्ध करवाए।

- 3. बैठक के दौरान नगर निगम, रोहतक द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर निगम रोहतक द्वारा Plastic Waste Recycler (Green Planet Waste Management Pvt. Ltd.) व E-Waste Recycler (M/s Deshwal Waste Management Pvt. Ltd.) को रिजस्ट्रर्ड किया जा चुका हैं, जोकि नगर निगम क्षेत्र से प्लास्टिक वेस्ट तथा ई—वेस्ट को लेकर उसका निष्पादन कर रहे है।
- 4. उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि रात के समय कुछ होटल वाले सड़क पर गंदगी डालते हैं। जिनके चालान किये जायें इस बारें अवगत करवाया गया कि नगर निगम रोहतक ने सभी 22 वार्डों के लिए माननीय NGT के आदेशों की पालना के लिए नोड़ल अधिकारी नियुक्त कर दिए है, जो माननीय NGT के आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा रात के समय भी निगम अधिकारी निरीक्षण कर गंदगी फैलाने वाले के चालान सुनिश्चित करेंगें।
- 5. उपायुक्त, रोहतक ने समीक्षा के दौरान निम्नलिखित दिशा—निर्देश दिए:—
  - 1. सब्जी मण्डी व बस स्टैंड की सफाई सुनिश्चित की जाये।
  - 2. भिवानी रोड़ से दिल्ली रोड़ तक 60 मीटर रोड़ पर दोनों तरफ सुनारियां व कन्हेली के पास निर्माण सामग्री मलबा डाला जा रहा है, जिस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  - 3. पुराने बस रटैंड क्षेत्र व पुराने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में पड़े मलबे को भी दिनांक 22.11.2019 तक समस्त मलबा साफ करवाया जाए।
  - 4. अध्यक्ष महोदय ने जिले के सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए गए कि उनके कार्यालयों में गीले व सूखे कूड़े के लिए हरे व नीले रंग के कूड़ेदान रखे जाने सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त उनकी प्रतिदिन सफाई भी सुनिश्चित की जाए। इनका निरीक्षण नगराधीश, रोहतक द्वारा कर उपायुक्त रोहतक को रिर्पोट प्रस्तुत की जाए।
  - 5. अध्यक्ष महोदय ने सिविल सर्जन, रोहतक को निर्देश दिये कि सभी सरकारी व प्राईवेट नर्सिंग होम तथा हस्पताल का 100 प्रतिशत निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि उनके संस्थान से निकलने वाले Bio-Medical Waste का निष्पादन Bio-Medical Waste Management Rule, 2016 के तहत किया जा रहा हों व सभी Bio-Medical Waste collector के साथ उनका एग्रीमेन्ट उनके पास हों। इस बारे

सिविल सर्जन दिनांक 22.11.2019 तक सभी नर्सिंग होम की निरीक्षण रिर्पोट आयुक्त, नगर निगम, रोहतक कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगें।

- 6. नगर निगम रोहतक क्षेत्र में नगर निगम द्वारा 13 डी—स्लज आपरेटरों को रजिस्ट्रर्ड किया है जो कि स्लज को STP सिंहपुरा व सुनारियां पर खाली करेंगे। अतः वहां पर स्लज को खाली करने की पूर्ण व्यवस्था, उनका पूर्ण रिकार्ड रखने के लिए जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग वहां पर एक कर्मचारी की भी डयूटी लगाना सुनिश्चित करें, जो कि STP पर खाली होने वाले टैकरों का रिकार्ड रख सके।
- 7. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालयों में विद्यार्थियों को Dry Waste/Wet Waste, Plastic Waste, E-Waste की सम्पूर्ण जानकारी, उनकी अपने घरों व विद्यालयों में पालना हो। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को उनके घरों के प्लास्टिक वेस्ट/ई-वेस्ट को विद्यालयों में जमा करवानें व उसे Recycler को देना सुनिश्चित करें। इसकी प्रति सप्ताह रिर्पोट उपायुक्त, रोहतक को प्रस्तृत की जायें।
- 8. बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व HSIIDC के अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया तथा उनके स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये गयें।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

रोहतक

पृ० कमांक 2140 - 70/2FA

दिनांक 20/11/19 इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सर्चिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

- 1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
- 2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
- 3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
- 4. नगराधीश, रोहतक।
- सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
- 6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
- 7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
- 8. cmo, रोहतक।
- 9. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
- 10. डा० सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
- 11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
- 12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
- 13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
- 14. GM, हरियाणा परिवहन विभाग, रोहतक।
- 15. GM, HSIIDC, Rohtak.
- 16. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।

- 17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
- 18. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक। 19. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
- 20. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
- 21. कार्यकारी अभियन्ता । & ॥, नगर निगम रोहतक।
- 22. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
- 23. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
- 24. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
- 25. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
- 26. सचिव, मार्किट कमेटी, रोहतक।

रोहतक।

पृ० कमांक अ171- 79 LFA

दिनांक इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।

- 3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
- 4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
- 5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
- 6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
- 7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।

8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

रोहतक।